(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 29/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर, 2020

विषयः– टीआरक्यू स्कीम के तहत दिनांक 31.01.2021 तक आलू के आयात हेतु प्रक्रिया।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 40/2020 दिनांक 28.10.2020 के परिणामस्वरुप एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 7 के एचएस कोड 0701 के तहत दिनांक 31.01.2021 तक 10 प्रतिशत के इन कोटा प्रशुल्क पर 10,00,000 मीट्रिक टन आलू के आयात हेतु प्रक्रिया को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अधिसूचित करते हैः

| उप–शीर्षक अथवा प्रशुल्क मद | माल का विवरण | प्रशुल्क दर कोटा मात्रा | इन–कोटा प्रशुल्क दर |
|---|---|---|---|
| 0701 | आलू | 10,00,000 मीट्रिक टन | 10 प्रतिशत |

2. प्रकिया पुस्तक, 2015–2020 के पैरा 2.62 (i) में छूट देते हुए, एफटीपी 2015–20 के एएनएफ–2ड के अनुसार इच्छुक आयातकों से डीजीएफटी में ऑनलाइन आवेदन आंमत्रित किए जाते है। **आवेदनों की हार्ड कॉपी मेल अथवा पोस्ट द्वारा भेजने की आवश्यकता नही है।**

i. इन आवेदनों के आवेदन शुल्क का परिशिष्ट एवं आयात–निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट–2ट के प्रक्रिया के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

ii. एक आईईसी के तहत केवल एक आवेदन पर विचार किया जाएगा।

3. डीजीएफटी के पास किसी भी समय उपयुक्त समझे जाने पर आबंटन में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

4. सफल आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आयात खेप **भारतीय पत्तनों पर 31.01.2021 को अथवा इससे पहले पहुंचे**। समयावधि बढ़ाने के लिए किसी भी अनुरोध को स्वीकार नही किया जाएगा।

अमित यादव
30/10/2020

(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/89/180/30/एएम–20/पीसी–2[क]/ई–24818 से जारी)